न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 227 / 2012 दायर दिनांक 23.08.2012

उनवान

1. जयराम पिता वेणीराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता जोतमान जाति ढोली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. कंचनबाई पत्नि भैरूलाल जाति ढोली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. कालु पिता नन्दा जाति ढोली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. गोमा पिता नन्दा जाति ढोली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. नन्दा पिता जोतमान जाति ढोली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. सुरेश पिता लच्छु जाति तेली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. गोवर्धलाल पिता नाथु जाति ढोली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. देऊबाई पत्नि लच्छु जाति तेली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. हजारी पिता भैरा जाति तेली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. गंगाबाई पत्नि हजारी जाति तेली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. रतनलाल पिता भैरा जाति नायक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. राजु पिता भैरा जाति नायक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. मु. टीनु पत्नि रतनलाल जाति नायक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. काली पत्नि राजु नायक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
15. कस्तुरा पिता जोतमान जाति ढोली आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 04.12.2024

–:निर्णयः–

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि यह कि मौजा हथियाना तहसील कपासन की आराजी नम्बर 1720, 1721 कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 हेक्टेयर स्थित है जो मुझ वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर उक्त आराजीयात मे मुझ वादी ने ग्वार की फसल बो रखी है एव उक्त आरानीयात के चारो तरफ मेड बन्दी कर तारीबदी कर रखी है ।

यह कि सभी प्रतिवादीगण झगडालु प्रवृत्ती के है एवं मेरी आराजीयात में नुकसान करा मेरी आराजीयात छीनना चाहते है। सभी प्रतिवादीगणो ने पहले भी विवाद किया जिस पर मुझ वादी ने श्रीमान के समक्ष 107, 151 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही कराई जिनमे सभी प्रतिवादीगणो को छ माह के लिये पाबन्द भी किया मगर फिर भी झगड़ा करने को उतारू रहते है जिनमें सभी प्रतिवादीगणो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वादी को अपार क्षति होगी एवं कई प्रकार की मुकदमेबाजी पैदा हो जायेगी।

यह कि यदि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रतिवादीगणो को कोई नुकसान नही है व जारी न किये जाने पर मुझ वादी को अपार क्षति है। यह कि सभी प्रतिवादीगणो ने दिनांक 16.08.2012 को झगडा किया, कांटो की तारबंदी को काट दिया मेडबन्दी मे नुकसान कराया एंव फसल मे मवेशी घुसा दिये जिसकी रिपोर्ट एस.पी. साहब चित्तौडगड के यहा पेश की जो गैर तफतीश है एवं तभी मुल्जिमानो ने मुझे और धमकी दे रखी है कि सारी आराजीयात पर कब्जा कर लेगे जिससे बिनाय दावा पैदा हो रही है जिसकी शुरुआत दिनांक 16.08.2012 से लगातार है।

अन्त में प्रार्थना की कि वादी का दावा स्वीकार फरमा सभी प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे की ग्राम हथियाना की आराजी नम्बर 1720 एवं 1721 पर से वादी को बेदखल नहीं करे वादी के कब्जे मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे एवं वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न अन्य से करावे ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से पूर्व में दिनांक 28.02.2018 को जवाब बन्द किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं किये जाने से आज दिनांक 04.12.2024 को साक्ष्यवादी बन्द की गई। बहस एकतरफा सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण वादी की आराजीयात छिनना चाहते है, अतः पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी की आराजीयात संख्या 1720 एवं 1721 में अप्रार्थीगण वादी को बेदखल नहीं करे, वादी के कब्जे मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे एवं वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न अन्य से करावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा हथियाना पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन की आराजी नम्बर 1720 एवं 1721 में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात से वादी को बेदखल नहीं करे, वादी के कब्जे मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे न अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन